कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक– का0ब0वि0प्रा0–2019 दिनॉक

आवंटन पत्र

सेवा में,

....

....

....

....

विषय– रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर– में स्थित भूखण्ड सं0– , श्रेणी , क्षेत्रफल . वर्गमीटर के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण **सं0–** के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि उपाध्यक्ष महोदया के अनुमोदन दिनॉक के क्रम में आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना के खण्ड, सेक्टर– . **में श्रेणी भूखण्ड सं0– , क्षेत्रफल वर्गमीटर** आंवटित किया गया है।

भूखण्ड का मूल्य एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:–

1– (क) अनुमानित मूल्य रू0–

(ख) जमा पंजीकरण धनराशि रू0–

(ग) आवंटन धनराशि रू0– (दिनॅाक– तक जमा की जानी है)

(घ) अवशेष धनराशि रू0–

(ड) किश्त की धनराशि रू0–

(अवशेष धनराशि रू0– पर, 10% ब्याज सहित किश्तों में)

- नकद भुगतान (Cash down) का विकल्प चयन करने पर आंवटी को दिनॉक– तक सम्पूर्ण अवशेष धनराशि रू0– /– जमा करनी होगी।

2– **दिनॉक– तक सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण खाते में एकमुश्त आधार (Cash down basis) पर जमा करने पर अवशेष धनराशि रू0– /– पर 2% छूट प्रदान की जायेगी। चैक के माध्यम से धनराशि जमा नहीं की जायेगी। शीघ्र अवशेष धनराशि निर्धारित तिथि व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बैंक खाता में जमा करनी होगी। (पृष्ठ सं0–2 के अनुसार।)**

3– किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी।

4– प्रथम किश्त माह में देय होगी। पृष्ठ सं0–2 के अनुसार वांछित खाते में जमा करनी होगी।

5– किश्तें, अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है।

6– किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 3% अतिरिक्त दण्ड ब्याज (कुल 13% ब्याज के साथ) देय होगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

7– आवंटन धनराशि न जमा करने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

8– विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नही करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

9– निर्धारित विक्रय मूल्य जमा किए जाने के पश्चात निर्धारित मूल्य के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर तथा रू0–50/– का अतिरिक्त स्टाम्प पेपर व पासपोर्ट साईज के 4 (चार) फोटो जमा कराकर विक्रय विलेख/अनुबन्ध अपने पक्ष में निष्पादित कराना होगा।

10– आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात विक्रय विलेख निबन्धन की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र स्वंय आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।

11– भूखण्ड में निहित भूखण्ड का क्षेत्रफल स्टैन्डर्ड है। विक्रय विलेख निष्पादन के समय प्राप्त साईट प्लान के अनुसार यदि भूखण्ड के क्षेत्रफल में कोई अन्तर आता है तो आवंटी को मान्य होगा तथा उपलब्ध स्थल एवॅं क्षेत्रफल के अनुसार कब्जा दिया जायेगा। क्षेत्रफल अधिक होने की दशा में आंबटी को अन्तर की धनराशि प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर जमा करनी होगी।

12– अनुरक्षण व्यय आवासीय में रू0–1/– प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।

13– यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवॅं जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप द्वारा गलत प्रमाण–पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाऐं प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः निरस्त माना जायेगा।

14– भू–अर्जन में न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण, शासन के किसी आदेश अथवा विकास कार्य में व्यय भार बढ़ने से भूमि के मूल्य में वृद्वि होने पर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अतिरिक्त धनराशि को निर्धारित समय सीमा के अन्दर भुगतान करना होगा। इस पर कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

15– अन्य नियम एवॅं शर्ते पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

नोट :–

- **उक्त आंबटित सम्पत्ति की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक, राजेन्द्रनगर, बरेली स्थित बरेली विकास प्राधिकरण के खाता सं0–1870000400507493 आई0एफ0एस0 कोड PUNB0187000 में जमा की जायेगी।**
- **किश्तें जमा करने की सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।**

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।